

**पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत
आरक्षक (चालक) की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2026
के लिए विभागीय भर्ती नियम तथा परीक्षा संचालन नियमपुस्तिका
(केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिये)**

ऑनलाइन आवेदन-पत्र		
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि :	15-10-2026	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 29-10-2026
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि :	15-10-2026	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 03-11-2026
संभावित परीक्षा दिनांक व दिन	04-01-2027 से प्रारंभ	
परीक्षा शुल्क		आरक्षक (चालक) परीक्षा हेतु
मण्डल का परीक्षा शुल्क	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु 500/-
	केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के लिये	रु. 250/-
पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु 200/-
	केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के लिये	रु. 100/-
ऑनलाइन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाइन का पोर्टल शुल्क रुपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा ।		

आनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी

संभावित परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
04-01-2027 से प्रारंभ	प्रथम	प्रातः 08:00 से 09:00 बजे तक	प्रातः 09:50 से 10:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोप. 01:00 से 02:00 बजे तक	दोप. 02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोप. 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
- बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड /आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर / आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है । परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है ।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है । **बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक होना चाहिए ।**
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजिटल वॉच, सन ग्लासेस एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी ।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।
- आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है । अतः कम्प्युटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी ।

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं./पुमु/2/चयन/स-3/591/2026, दिनांक 31/07/2026 के अनुसार :-

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत
आरक्षक (चालक) की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2026
के लिए विभागीय भर्ती नियम तथा परीक्षा संचालन नियमपुस्तिका
(केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिये)

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक (चालक) की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2026 के लिए विभागीय भर्ती नियम एवं आरक्षण तालिका	03 - 16
2.	2	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	17 - 27
3.	3	पाठ्यक्रम	28
4.	प्रारूप	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	29
5.	प्रारूप	अन्य प्रमाण-पत्र	30 - 34

अध्याय-1
पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत
आरक्षक (चालक) की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2026 के लिए विभागीय भर्ती नियम

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं./पुमु/2/चयन/स-3/591/2026, दिनांक 31/07/2026 द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षक (चालक) के पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष उम्मीदवारों से निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :

आरक्षक (चालक)

- i. आरक्षक (चालक) विशेष सशस्त्र बल – 200 पद
- ii. आरक्षक (चालक) विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर – 800 पद

i. आरक्षक (चालक) विशेष सशस्त्र बल (केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिये)

Constable (GD)	UR		SC	ST	OBC		EWS	Total		
	27%	13% काल्पनिक	16%	20%	14%	13% प्रावधिक	10%	87%	13%	100%
Open	41	19	24	30	21	19	15	131	19	150
Ex Serv (10%)	5	3	3	4	3	3	2	17	3	20
HG(15%)	8	4	5	6	4	4	3	26	4	30
Total	54	26	32	40	28	26	20	174	26	200

ii. आरक्षक (चालक) जिला पुलिस बल[#] (केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिये)

Constable (GD)	UR		SC	ST	OBC		EWS	Total		
	27%	13% काल्पनिक	16%	20%	14%	13% प्रावधिक	10%	87%	13%	100%
Open	162	78	96	120	84	78	60	522	78	600
Ex Serv (10%)	22	10	13	16	11	10	8	70	10	80
HG(15%)	32	16	19	24	17	16	12	104	16	120
Total	216	104	128	160	112	104	80	696	104	800

- a. ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई अधिवासी (domicile) नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अन्तर्गत ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु म.प्र. राज्य का स्थाई अधिवासी (domicile) होना अनिवार्य है।
- b. म.प्र. शासन गृह पुलिस विभाग के परिपत्र क्र.एफ-2(अ)/541/92/ब(4)/दो/भोपाल दिनांक 04.04.1995 के द्वारा निःशक्तजनों से पुलिस विभाग को मुक्त रखा गया है।
- c. उपरोक्त पर केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिये है।

“विभागीय परीक्षा शुल्क” बोर्ड द्वारा प्रत्येक अनारक्षित अभ्यर्थियों से रू. 200/- एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों से रू.100/- प्राप्त किया जाकर पुलिस विभाग को स्थानांतरित किया जावेगा.

सक्षम प्राधिकारी इन पदों पर संबंधित किसी इकाई अथवा शाखा में नियुक्ति कर सकते हैं।

पुलिस सीधी भर्ती हेतु पद-संवर्ग

क्रमांक	पद
(1)	आरक्षक (चालक)

(2) परिभाषाएँ:-

- i. "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण.
- ii. "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.
- iii. "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.
- iv. "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक-एफ-8-5 पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.
- v. "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)
- vi. "विभाग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है.
- vii. "समिति" से अभिप्रेत है - पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित की गई चयन समिति।
- viii. "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है - कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा.
- ix. "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है-प्रथम चरण ऑनलाइन परीक्षा के बाद पुलिस विभाग द्वारा ली जाने वाली प्रायोगिक परीक्षा एवं आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षण.
- x. "होमगार्ड सैनिक" से अभिप्रेत है होमगार्ड गैर-कमीशन अधिकारी जिन्होंने इन पदों पर सक्रिय सेवा के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं;
- xi. "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है - निम्नलिखित श्रेणी के मध्यप्रदेश के अधिवासी (domicile) भूतपूर्व सैनिक आयु या शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट के लिए पात्र हैं परंतु सेना में सेवारत सैनिक को भूतपूर्व सैनिक नहीं कहा जा सकता, भले ही सेना में उसकी सेवा की अवधि आने वाले समय में पूरी हो रही हो:
 - क. भूतपूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त रियायतों के अधीन सेवानिवृत्त हुए हैं (मास्टरिंग रियायतें);
 - ख. भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया है, और अल्पकालिक सेवा पूर्ण होने पर, उन्हें भर्ती की शर्तें पूरी करने पर कार्यमुक्त किया गया है;
 - ग. अधिकारी (सैनिक या नागरिक) जो अपने अनुबंध के पूरा होने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं (अल्पकालिक सेवा के नियमित कमीशन अधिकारियों सहित);
 - घ. अवकाश रिक्तियों पर 6 महीने से अधिक समय तक लगातार कार्य करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी;
 - ङ. असमर्थता के कारण सेवा से हटाए गए भूतपूर्व सैनिक;
 - च. भूतपूर्व सैनिक जो इस आधार पर सेवानिवृत्त हुए हैं कि वे अब सक्षम सैनिक नहीं बन पाएंगे;
 - छ. गोली, घाव आदि के कारण चिकित्सा आधार पर सेवा से हटाए गए भूतपूर्व सैनिक.

(3) सामान्य :-

- i. अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.
- ii. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो, उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा.
- iii. अभ्यर्थी के पास दिनांक 29/10/2026 तक सभी संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्यतः होने चाहिये.
 - क. आयु एवं उसमें छूट
 - ख. शिक्षा
 - ग. होमगार्ड/भूतपूर्व सैनिक
 - घ. उभयलिंगी व्यक्ति के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति का लिंग उपदर्शित करते, जारी Certificate of Identity.

सभी वांछित मूल दस्तावेज शारीरिक परीक्षण के समय होने वाले दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करने होंगे।

ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय कर्मचारी हैं, उनके पास नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी परीक्षा में सम्मिलित होने की पूर्व अनुमति होनी चाहिये। चयन होने की स्थिति में पूर्व सेवा से स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- v. शासकीय/अर्ध-शासकीय या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अनुशासनिक आधार पर अयोग्य या सेवा से हटाए गए अभ्यर्थी भर्ती के लिये पात्र नहीं होंगे।
- vi. चयनित अभ्यर्थी को विभाग द्वारा निर्धारित दिनांक को मेडिकल, दस्तावेज परीक्षण एवं चरित्र-सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। उपस्थित नहीं होने की दशा में चयन की पात्रता समाप्त होगी।
- vii. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में निर्धारित दिनांक को आमद देनी होगी।
- viii. सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 06 अप्रैल 2023, सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक सितम्बर, 1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

1	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को
2	भूतपूर्व सैनिक(Demobilised Defence forces Personnel Exservicemen -other ranks)को
3	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी
4	अतिशेष कर्मचारियों को
5	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी
6	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को
7	राष्ट्रीय छात्र(NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" प्रमाण-पत्र
8	म्यांमार(वर्मा) एवं श्रीलंका(सिलोन) से आये हुए भारतीय नागरिकों को

"उपरोक्त वर्गों के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जायेंगे।"

(4) पद का वेतनमान:-

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान
1.	आरक्षक (चालक)	19500-62000

नोट :- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्थायपेड देय होगा। दिये गये समस्त संवर्गों के वेतनमान के अलावा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होंगी। म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम-4/दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ-9/डी/2003 नियम-4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

(5) पदों पर भर्ती:

- i. विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात् कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
- ii. सभी पद तृतीय एवं कार्यपालिक श्रेणी के हैं।
- iii. चयनित अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता एवं मेरिट सूची में उनके क्रमानुसार, संवर्ग आवंटित किए जाएंगे। **विभिन्न इकाईयों में आवंटन विभाग की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को गृह जिला आवंटित नहीं किया जाएगा।**
- iv. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अन्तर्गत राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW), विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) अथवा अन्य किसी संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- v. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र जमा करने के चरण में अपनी प्राथमिकता निम्न पद-संवर्गों के लिए दे सकेंगे:-

(क) आरक्षक (चालक)

- (1) आरक्षक (चालक) विशेष सशस्त्र बल
- (2) आरक्षक (चालक) जिला बल

vi. आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपनी सवर्ग एवं इकाई की प्राथमिकता दर्ज करेंगे :-

क्र.	जिला	क्र.	जिला	क्र.	जिला	क्र.	जिला
1	अनूपपुर	16	झाबुआ	31	भिण्ड	46	शिवपुरी
2	अलीराजपुर	17	टीकमगढ़	32	भोपाल	47	श्यामपुर
3	अशोक नगर	18	डिंडोरी	33	मंडला	48	सतना
4	आगर मालवा	19	दतिया	34	मंदसौर	49	सागर
5	इंदौर	20	दमोह	35	मुरैना	50	सिंगरौली
6	उज्जैन	21	देवास	36	राजगढ़	51	सिवनी
7	उमरिया	22	धार	37	रायसेन	52	सीधी
8	कटनी	23	नरसिंहपुर	38	रीवा	53	सीहोर
9	खंडवा	24	निवाड़ी	39	रतलाम	54	हरदा
10	खरगोन	25	नीमच	40	विदिशा	55	होशंगाबाद
11	गुना	26	पन्ना	41	शहडोल	56	मैहर
12	ग्वालियर	27	बडवानी	42	शाजापुर	57	पांडुरंगा
13	छतरपुर	28	बालाघाट	43	शासकीय रेल पुलिस, इंदौर	58	मऊगंज
14	छिंदवाड़ा	29	बुरहानपुर	44	शासकीय रेल पुलिस, जबलपुर		
15	जबलपुर	30	बैतूल	45	शासकीय रेल पुलिस, भोपाल		

- vii. जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाई में स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा।
- viii. चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी।
- ix. ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई अधिवासी (domicile) नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम दिनांक को अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु म.प्र. राज्य का स्थाई अधिवासी (domicile) प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- x. स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान-कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होना चाहिए।

(6) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :-

a. आरक्षक (चालक) के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार हैं :-

क्र.	पदनाम	अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हता	अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता
1.	आरक्षक (चालक)	मान्यता प्राप्त किसी मंडल/संस्था से 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।	8 वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भारी वाहन का ड्रायविंग लायसेंस अनिवार्य होगा। इन पदों के लिये अलग से प्रायोगिक ट्रेड परीक्षण होगा, जो उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(7) निर्धारित आयु सीमा:-

i. सामान्य

- क. दिनांक 29/10/2026 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ख. उभयलिंगी (Transgender) व्यक्ति को प्रमाण पत्र में "पुरुष" का उल्लेख किया गया है, तब पुरुष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे और यदि "महिला" का उल्लेख किया गया है, तब महिला उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे। (नोट- आरक्षक चालक के पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिये है।)
- ग. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र.3-8/2016/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2017 एवं संशोधित परिपत्र क्र.सी 3-14/2019/एक/3 भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019 के अनुसार राज्य सरकार की वर्दीधारी सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट-

क्र.	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1	पुरुष	मध्यप्रदेश के अनारक्षित	33 वर्ष
2	पुरुष	मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी	33 वर्ष
3	पुरुष	अन्य प्रदेश के अधिवासी सभी अभ्यर्थी	33 वर्ष
5	पुरुष*	आरक्षित श्रेणी (अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.व.) का अभ्यर्थी	38 वर्ष
6	पुरुष*	सभी श्रेणी के शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी	38 वर्ष
7	पुरुष*	अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह	38 वर्ष
9	पुरुष*	अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता	33+5 = 38 वर्ष
11	पुरुष*	आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता	38+5 = 43 वर्ष

* केवल मध्यप्रदेश के अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए.

नोट:- सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र.शासन के आदेश क्र. सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होंगी

ii. मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में छूट :-

क. "विक्रम पुरस्कार- से सम्मानित अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सम्मानित दंपति के उच्च जाति के पति या पत्नी के मामले में आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी. इस संबंध में विवाह पंजीयनकर्ता शासकीय अधिकारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक के पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

ग. प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी.

घ. प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें, मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी.

iii. स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान-कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होना चाहिए, अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वास्थ्यता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः उन्हें आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

iv. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट:-

उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु आवेदक की पात्रता की उच्च सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी. भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है. दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूतपूर्व सैनिकों के लाभ प्राप्त नहीं होंगे.

स्पष्टीकरण :1 शब्द "भूतपूर्व सैनिक" एक ऐसे व्यक्ति की घोषणा है जो नियम 2 के उपनियम "xi" की श्रेणियों में से किसी से संबंधित है और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अथवा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छूटनी की गई हो या अधिशिष्ट घोषित किया गया हो।

स्पष्टीकरण 2: किसी भूतपूर्व सैनिक ने यदि अतीत में किसी शासकीय सेवा में शामिल होने का लाभ उठाया है, तो उसे भविष्य की भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिक नहीं कहा जाएगा. वे भूतपूर्व सैनिक उनके लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण के लाभ के लिये पात्र नहीं होंगे. सी.आर.पी.एफ, बी.एस.एफ, आई.टी.बी.पी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्धसैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है।

v. मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी/ परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी। शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति को शारीरिक दक्षता परीक्षण में दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा. उम्र में छूट नहीं ले रहे शासकीय सेवकों को पुलिस सेवा में नियुक्ति पूर्व अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी.

- vi. यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्थानीय निकायों जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं है।
- vii. छूटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरूप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो. छूटनी किये गये सरकारी कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा किन्हीं भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो. अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी. अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी.
- viii. केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई.
- ix. आयु सीमा में छूट के तहत, यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक छूट के आधार हैं, तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ के साथ छूट मिलेगी.
- x. संविदा पर कार्यरत अन्य मानद कर्मचारियों या स्वैच्छिक कर्मचारियों जैसे कि 'शिक्षाकर्मी' 'पंचायत कर्मी' आदि कर्मचारियों को आयु में छूट की सुविधा नहीं मिलेगी.
- xi. किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी. उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, शारीरिक दक्षता परीक्षण में दस्तावेज सत्यापन के समय पेश करना होगा.

(8) परीक्षा योजना :-

- a. **प्रथम चरण लिखित परीक्षा-** हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न(MCQ):
- b. **द्वितीय चरण परीक्षा योजना :-**
क. शारीरिक दक्षता एवं दस्तावेज परीक्षण तथा ट्रेड टेस्ट

(9) प्रथम चरण परीक्षा योजना :-

आरक्षक (चालक)

- i. प्रथम चरण लिखित परीक्षा- हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ):
क. अवधि -2 घंटे, 100 प्रश्न
ख. अंक योजना
(1) अधिकतम 100 अंक
(2) सही उत्तर के लिये +1 अंक दिए जाएंगे .
(3) जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत हैं, उनके लिये कोई अंक नहीं काटा जाएगा.
- ग. प्रश्नों के प्रकार – वस्तुनिष्ठ (MCQ)
(1) 40 अंक – सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान.
(2) 30 अंक – बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि.
(3) 30 अंक- विज्ञान एवं सरल अंक गणित.
- घ. वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध सात गुना अभ्यर्थियों को कट-ऑफ़ परसेंटाईल अनुसार आरक्षक (चालक) पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा। "विशेष सशस्त्र बल एवं जिला बल" के लिए एक ही कट-ऑफ़ परसेंटाईल का निर्धारण होगा।
- ड. हॉरीज़ेंटल श्रेणियों के लिए पृथक से कट-ऑफ़ परसेंटाईल का निर्धारण नहीं किया जाएगा.

(10) द्वितीय चरण परीक्षा योजना :-

आरक्षक (चालक) के पदों हेतु शारीरिक दक्षता तथा ट्रेड परीक्षण में उत्तीर्ण होने एवं उनके प्रथम चरण लिखित परीक्षा में प्राप्त परसेंटाईल के आधार पर अंतिम चयन होगा।

(11) शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं ट्रेड टेस्ट :-

- i. शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं ट्रेड टेस्ट का आयोजन और मूल्यांकन एक चयन समिति जैसी कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाए, के पर्यवेक्षण में किया जाएगा.
- ii. अंकों का वितरण अनुसूची एक अनुसार रहेगा.
- iii. प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट-ऑफ़ परसेंटाईल के आधार पर, वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध, सात गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा. प्रथम चरण की परीक्षा में कट-ऑफ़ के बराबर परसेंटाईल प्राप्त करने वाले

सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की सात गुना से अधिक हो।

- iv. शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
- v. आरक्षक (चालक) संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को 800 मीटर दौड़ में केवल 20% न्यूनतम अंक के लिये, शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% अंक (40 में से 8 अंक) लाने होंगे।
- vi. ट्रेड परीक्षण केवल क्वालिफाईंग प्रकृति का होगा।
- vii. शारीरिक दक्षता परीक्षण में अंकों का वितरण अनुसूची एक अनुसार रहेगा।
- viii. प्रथम चरण में वर्टिकल आरक्षण के सात गुना अभ्यर्थी जहां खत्म हो रहें हैं, वही कट-ऑफ परसेंटाईल, न्यूनतम अर्ह परसेंटाईल होगा जो कि डायनेमिक रहेगा और परीक्षा से पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता है।

(12) शारीरिक मापदंड परीक्षण :-

- i. केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए (विसबल नियम 1973 के नियम 21 एवं 22 अनुसार) –

क्र.	आरक्षक पदों के लिए	वर्ग	ऊंचाई	सीना (केवल पुरुषों के लिए)	
				बिना फुलाव	फुलाव सहित
1	क. अनारक्षित ख. अन्य पिछड़ा वर्ग	पुरुष	168 सें.मी.	79 सें.मी.	84 सें.मी.
2	क. गोरखा ख. गढ़वाली ग. कुमाऊं के मामले में	पुरुष	157 सें.मी.	79 सें.मी.	84 सें.मी.
3	क. मराठा ख. अनुसूचित जाति ग. अनुसूचित जनजाति	पुरुष	165 सें.मी.	79 सें.मी.	84 सें.मी.

- ii. "जिला बल संवर्ग" के अभ्यर्थियों के लिए -

क्र.	संवर्ग	वर्ग	ऊंचाई	सीना (केवल पुरुषों के लिए)	
				बिना फुलाव	फुलाव सहित
1	आरक्षक अन्य सभी संवर्ग क. अनारक्षित ख. अनुसूचित जाति ग. अन्य पिछड़ा वर्ग	पुरुष	168 से.मी.	81 सें.मी.	86 सें.मी.
2	आरक्षक अन्य सभी संवर्ग - अनुसूचित जनजाति	पुरुष	160 से.मी.	76 सें.मी.	81 सें.मी.

नोट:- उभयलिंगी व्यक्ति हेतु शारीरिक मापदंड परीक्षण – जैसा कि उभयलिंगी (Transgender) व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी Certificate of Identity में उल्लेखनुसार पुरुष/महिला के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगे। (उक्त पद महिला उम्मीदवारों के लिये नहीं)

- iii. जहाँ भी लागू हो, यदि सीने का माप न्यूनतम निर्धारित माप से अधिक है, तो उसे कम से कम 5 सें.मी. फुलाना अनिवार्य होगा।
- iv. शारीरिक मापदण्डों में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जाएगी।

(13) स्वास्थ्य मापदण्डों का निम्नलिखित परीक्षण जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा:

- i. कद का माप
- ii. सीने का फुलाव (केवल पुरुषों के लिए)
- iii. दृष्टि: अभ्यर्थियों को कोई नेत्र रोग/विकार नहीं होना चाहिए और बिना चश्मे के दृष्टि की तीव्रता 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए. अभ्यर्थियों को मुख्य रंगों में अंतर करने से सक्षम होना चाहिए जिसका इशियारा प्लेटों के माध्यम से परीक्षण किया गया हो.
- iv. नॉक-नी तथा फ्लेट फुट नहीं होना चाहिए.
- v. अभ्यर्थी का शरीर किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल परीक्षण के संबंध में जिला, संभाग एवं राज्य मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराये जाने का क्रम निर्धारित है. स्वास्थ्य परीक्षण में पुलिस सेवा हेतु अयोग्य घोषित किये जाने पर अभ्यर्थी यदि असंतुष्ट रहता है, तो संबंधित इकाई

में संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराने का आवेदन करने पर, संभागीय मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया जाएगा। जिला एवं संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड के अभिमत में भिन्नता होने पर केवल विभाग राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से पुनः परीक्षण करायेगा। प्रत्येक स्तर पर अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के समय आवश्यक रूप से एक नामांकित राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेगा। स्वास्थ्य परीक्षण की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

(14) आरक्षण:-

- i. श्रेणियाँ : सीधी भर्ती के लिए आरक्षण के लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 का पालन करते हुए, विज्ञापित कुल पदों की आरक्षण अनुसार पदवार तालिका निम्नानुसार है, आरक्षण को वर्टिकल (लंबवत) श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे-अनुसूचित जाति(एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग। प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी को आगे हॉरीजोन्टल (क्षैतिज) श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे- होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिक श्रेणियाँ:

श्रेणियाँ	UR	OBC	SC	ST	EWS
ओपन	UO	BO	CO	TO	EO
भूतपूर्व सैनिक (10%)	UX	BX	CX	TX	EX
होमगार्ड @ (15 %)	UG	BG	CG	TG	EG
योग	UT	BT	CT	TT	ET
आरक्षण \$ (%)	27	27	16	20	10

@ केवल आरक्षक के पद के लिये विचार किया जायेगा।

\$ विज्ञापन जारी करते समय शासकीय आदेश के अनुसार होगा।

- ii. गृह (पुलिस) विभाग द्वारा म.प्र. शासन के ज्ञापन क्रमांक 556/128/96/ब-2/दो, दिनांक 31 जनवरी 1996, के अधीन पुलिस आरक्षक की भर्ती में होमगार्डों का 15 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है, जिसका पालन किया जाएगा।
- iii. सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) म.प्र. शासन का 21 अप्रैल 1999 का असाधारण राजपत्र आदेश के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी शासकीय सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण का पालन किया जाएगा। इसे सम्बंधित वर्टिकल श्रेणियों की हॉरीजोन्टल श्रेणी में विभाजित किया जाएगा।
- iv. गृह (पुलिस) विभाग, म.प्र. शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ 2(अ) 541/92-बी-4-दो भोपाल दिनांक 04.04.1995 द्वारा पुलिस विभाग को निःशक्तजनों को भर्ती करने से मुक्त रख गया है।
- v. सभी आरक्षण और आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश के अधिवास के संदर्भ में हैं। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित अर्हताओं के अधीन पात्र होंगे।
- vi. म.प्र. राजपत्र क्र.-118 दिनांक 18 अप्रैल 2023 के अनुसार उभयलिंगी (Transgender) व्यक्ति को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की श्रेणी में रखा गया है। उभयलिंगी के अभ्यर्थी को चयन होने की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी Certificate of Identity में उल्लेखानुसार OBC Category में पुरुष/महिला के पद के विरुद्ध नियुक्त किया जायेगा।
- viii. शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- ix. **अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी:-** यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य श्रेणी एक वर्ग नहीं हैं, यह खुली प्रतियोगिता श्रेणी है और सभी उम्मीदवार-जिन्होंने किसी प्रकार की छूट नहीं ली है, वे अपने उच्च परसेंटाईल के आधार पर अनारक्षित (UR) श्रेणी में स्थान पाने के पात्र हैं, भले ही किसी आरक्षित श्रेणी विशेष के अधीन उन्होंने आवेदन किया हो,
- x. **अनारक्षित हॉरीजोन्टल श्रेणी:-**
 - क. अनारक्षित होमगार्ड सभी हॉरीजोन्टल श्रेणियों यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुलिस अभ्यर्थियों का समायोजन किए हुए होगी जैसे कि अनारक्षित पुरुषों के लिए लागू है.
 - ख. अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक सभी हॉरीजोन्टल श्रेणियों यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का समायोजन किए हुए होगी जैसे कि अनारक्षित पुरुषों के लिए लागू है.
- xi. **आरक्षित वर्टिकल श्रेणी:-**
 - क. किसी भी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी यथा OBC/ST/SC/EWS, के अभ्यर्थी जिनके परसेंटाईल अनारक्षित वर्टिकल (UR) श्रेणी के कट-ऑफ़ परसेंटाईल से कम नहीं हैं परंतु उन्होंने उम्र, शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता में छूट का लाभ लिया है तो उनकी गणना केवल आरक्षित श्रेणी में ही होगी.
 - ख. किसी भी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी यथा OBC/ST/SC/EWS, के अभ्यर्थी जिसके परसेंटाईल अनारक्षित वर्टिकल (UR) श्रेणी के कट-ऑफ़ परसेंटाईल से कम नहीं हैं परंतु जिन्हें कि अपनी उच्च वरीयता का विकल्प सेवा संवर्ग केवल

उनकी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी में ही प्राप्त हो रहा है, अनारक्षित अभ्यर्थी की तरह विचार करने पर नहीं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित श्रेणी के स्थान पर आरक्षित श्रेणी में की जाएगी।

- xii. **आरक्षित हॉरीजोन्टल श्रेणी:-** प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी के भीतर हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणियाँ हैं, इसके लिए, केवल उन्हीं योग्य अभ्यर्थियों पर चयन हेतु विचार किया जा सकता है जिन्होंने कि प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्ह परसेंटाईल पाए हों जो कि उनकी अपनी-अपनी वर्टिकल श्रेणी यथा UR/OBC/ST/SC/EWS के कट-ऑफ परसेंटाईल ही हो सकते हैं। प्रथम चरण में हॉरीजोन्टल आरक्षित श्रेणियों के लिए पृथक से कट-ऑफ परसेंटाईल निर्धारित नहीं किए जाएंगे।
- क. भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित वर्टिकल श्रेणी में "ओपन प्रकोष्ठ" अभ्यर्थी के रूप में नहीं चुना जा सकता है, क्योंकि उनको शारीरिक दक्षता परीक्षण में पृथक एवं शिथिल मानकों के आधार पर अंक अभिप्राप्त होंगे।
- ख. होमगार्ड या भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए हॉरीजोन्टल आरक्षित पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में इस प्रकार शेष रहे पदों को उस वर्टिकल श्रेणी के ओपन प्रकोष्ठ के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
- ग. होमगार्ड हॉरीजोन्टल आरक्षित श्रेणी:- स्वयंसेवी होमगार्ड नगर सैनिकों के लिये आरक्षक पद पर 15 प्रतिशत "ओवरऑल हॉरीजोन्टल आरक्षण" लागू है, शासन के आदेश क्र./3789/1537/89/बी/3/2/ दिनांक 29.06.1989 के संदर्भ में एवं पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक/पुमु/2/चयन/स-3/314/04 दिनांक 14.10.2004 के द्वारा यथा निर्देशित होमगार्ड को केवल आरक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा से छूट दी गई है, इसलिए होमगार्ड के रूप में पाँच वर्ष तक सेवा पूर्ण करने पर 5 अंक, पाँच से अधिक एवं दस वर्ष तक सेवा पूर्ण करने पर 10 अंक तथा दस वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने पर 15 अंक निर्धारित करते हुए, प्राप्तांकों के घटते क्रम के आधार पर तैयार योग्यता सूची में से, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के सात गुना होमगार्ड अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जायेगा। होमगार्ड सैनिकों का आरक्षक पद के लिए अंतिम चयन निम्न अंकों के योग के आधार पर होगा:-
- 1) उनके लिए निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण मापदंडों के आधार पर प्राप्तांक एवं,
 - 2) उनकी सेवा अवधि के आधार पर प्राप्तांक एवं,
 - 3) एक से अधिक होमगार्ड की सेवा अवधि और शारीरिक दक्षता परीक्षण के आधार पर प्राप्तांक यदि समान हैं, तो अधिक कुल सेवा और उसके भी समान होने पर अधिक आयु के होमगार्ड अभ्यर्थी को कम आयु के होमगार्ड से योग्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा।
- xiii. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यूएस) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है एवं संशोधन आदेश एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2019 के अनुसार प्रारूप संलग्न।
- xiv. परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा।

(15) चयन :-

चयन सूची से सेवा में नियुक्ति-

- i. शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों को चयन की पात्रता होगी। **अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के परीक्षण में यदि अयोग्य पाया जाता है, तो उसका चयन नहीं किया जाएगा, भले ही वह द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल रहा हो।**
- ii. भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा एवं जहाँ लागू हो वहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षण में कुल प्राप्तांकों के योग के आधार पर सफल हुये, उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी, परन्तु केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों।
- iii. सर्वप्रथम प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस.) के वे पुरुष उम्मीदवार भी शामिल होंगे, जो किसी भी छूट के बिना (शुल्क की छूट के अतिरिक्त) चाहे वो उम्र, शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक माप या दक्षता परीक्षण हो, अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ परसेंटाईल से अधिक परसेंटाईल पाता है और उसे उसकी उच्चतम माप या दक्षता परीक्षण हो, अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ परसेंटाईल से अधिक परसेंटाईल पाता है और उसे उसकी उच्चतम प्राथमिकता का संवर्ग/पद अनारक्षित श्रेणी मिल रहा है।
- iv. यह सूची बनाने के बाद अनारक्षित भूतपूर्व सैनिकों के लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा। अनारक्षित भूतपूर्व सैनिकों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे, बल्कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की दशा में उतने पद अनारक्षित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे। चयन सूची में यदि पहले से अनारक्षित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों में 15 प्रतिशत होमगार्ड सैनिक एवं 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे, तो पृथक से और आरक्षण नहीं दिया जायेगा।
- v. शेष उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. के उम्मीदवारों की उनकी अपनी-अपनी वर्टिकल आरक्षित श्रेणी के लिये विज्ञापित पदों के लिये पृथक-पृथक सूचियां बनाई जायेगी।

- vi. ये सूचियां बनाने के बाद संबंधित आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. में होमगार्ड सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए हॉरीजोन्टल आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे, बल्कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की दशा में उतने पद संबंधित आरक्षित श्रेणी के शेष रहे ओपन अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे। चयन सूची में यदि पहले से संबंधित आरक्षित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों में 15 प्रतिशत होमगार्ड सैनिक एवं 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे, तो पृथक से और आरक्षण नहीं दिया जायेगा।
- vii. समान परसेंटाइल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षता पहले आनुपातिक अंक, फिर आयु (जन्मतिथि) के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

(16) प्रतीक्षा सूची:- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र-सी-3-9/2016/1-3 दिनांक 10.10.2016 अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या के 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जायेगी, जो कि परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी। रिक्त रहे पदों की पूर्ति इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी।

(17) प्रमाण पत्रों की जांच :-

- i. द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न शारीरिक दक्षता परीक्षण केन्द्रों में शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद सम्पन्न की जावेगी.
- ii. आवेदक अपने साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज (डाक्यूमेंट) और उनकी प्रतियाँ लेकर आएँगे एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे:-
 - क. जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्मतिथि लिखी हो,
 - ख. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र,
 - ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैरक्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में, मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय, प्रमाण पत्र क्रमांक एवं जारी दिनांक इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये, प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,
 - घ. स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन-कमीशनड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये नगर सेना की कम से कम तीन वर्ष की सेवा काल पूर्ण करने का प्रमाण पत्र,
 - ङ. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, सेना की सेवा का प्रमाण पत्र,
 - च. पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,
 - छ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दम्पति में से उच्च जाति के पति/पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, पुरस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
 - ज. "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट "विक्रम पुरस्कार" हेतु पुरस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
 - झ. विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,
 - ञ. नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये,
 - ट. यात्रा किराया के भुगतान चाहने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी साथ में लेकर आएँ और प्रस्तुत करें.
- iii. दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे. अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा. इस नियम पुस्तिका में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा.
- iv. आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है. अतः प्रथम चरण की परीक्षा में अभ्यर्थियों का प्रवेश तथा प्रथम चरण की परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा.

(18) यात्रा किराया:-

लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण आदि में सम्मिलित होने पर केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जायेगा. यात्रा टिकट प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थी के पते के जिले में जाने वाली ट्रेन या बस का किराया, जो भी न्यूनतम हो, का भुगतान किया जाएगा. यह किराया शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उनके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद दिया जाएगा. इसके लिए

आवश्यक है की यात्रा किराया के भुगतान चाहने वाले अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी साथ में लेकर आएँ।

(19) अंतिम चयन :

- आरक्षक (चालक) संवर्ग के अभ्यर्थियों का उनके शारीरिक दक्षता एवं ट्रेड परीक्षण में उत्तीर्ण होने एवं उनके प्रथम चरण लिखित परीक्षा में प्राप्त परसेंटाईल के आधार पर अंतिम चयन होगा।
- शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों को चयन की पात्रता होगी। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के परीक्षण में यदि अयोग्य पाया जाता है, तो उसका चयन नहीं किया जाएगा, भले ही वह प्रथम चरण की परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल रहा हो।
- भर्ती परीक्षा में कुल प्राप्तांको के योग के आधार पर सफल हुये, उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस.) के वे उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो किसी भी छूट के बिना (शुल्क की छूट के अतिरिक्त) चाहे वो उम्र, शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षण हो, अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ परसेंटाईल से अधिक परसेंटाईल पाता है और उसे उसकी उच्चतम प्राथमिकता का संवर्ग/पद अनारक्षित श्रेणी मिल रहा है। शेष उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. के उम्मीदवारों की उनकी अपनी-अपनी वर्टिकल श्रेणी के लिए विज्ञापित पदों के लिए पृथक-पृथक सूचियाँ बनाई जायेंगी।
- ये सूचियाँ बनाने के बाद होमगार्ड एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा।
- समान परसेंटाईल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षता पहले आनुपातिक अंक, फिर आयु (जन्मतिथि) के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
- संवर्ग/पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को उनके मेरिट क्रम में उनके द्वारा आवेदन पत्र भरते समय, दर्शाए गए गृह ज़िले को ध्यान में रखते हुए उन संवर्ग/पद की इकाइयों का आवंटन चयन एवं भर्ती शाखा, पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।

(20) चरित्र सत्यापन :-

- कोई अभ्यर्थी चरित्र सत्यापन प्रपत्र में यदि कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाता है या कोई गलत जानकारी देता है, तो उसे सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। सेवा में नियुक्ति के बाद इस संबंध में यदि यह तथ्य पता चलता है तो उसे कोई अन्य नोटिस दिये बिना उसे, सेवा से हटा दिया जाएगा। प्रतिकूल चरित्र सत्यापन के मामले में, नियुक्ति के लिए या सेवा में बने रहने का अभ्यर्थी का कोई अधिकार नहीं होगा और ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची से हटा दिए जाएंगे।
- गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ-17-01/2017/दो/सी-2 दिनांक 24 जुलाई 2018 के आधार पर चरित्र सत्यापन किया जाएगा।
- चरित्र सत्यापन के लिए चयन के मामले में मार्गदर्शन सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेहर सिंह विरूद्ध कमिशनर ऑफ पुलिस-विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्र. 38886/2012, में निर्धारित मापदण्ड अनुसार होंगे।

(21) नियुक्ति :-

- नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।
- अभ्यर्थियों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चरित्र सत्यापन, चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी। अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता अनुसार उन्हें पद-संवर्ग एवं पदों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार इकाई आवंटित की जाएगी।
- अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता अनुसार पद/संवर्ग एवं आवश्यकता अनुसार इकाई आवंटित की जायेगी। म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार वेतन न्यूनतम प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टापपेड देय होगा। दिये गये समस्त संवर्गों के वेतन के अलावा समय समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होंगी। म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र.एफ-9/3/2003/नियम-4/दिनांक 13.4.2005 एवं क्र. एफ-9/डी/2003 नियम-4 दिनांक 02.07.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।
- जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।
- निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।

- vi. जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाईयों में स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा।
- vii. चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी।
- viii. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अंतर्गत राज्य के अंदर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों जैसे- राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ(EOW), विशेष पुलिस स्थापना(लोकायुक्त) अथवा अन्य किसी संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- ix. प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र-शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जायेगा।

(22) सामान्य निर्देश:-

- i. चयन सूची के जारी होने से पहले या बाद में किसी स्तर पर, यदि चयन एवं भर्ती शाखा, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश के संज्ञान में कोई कम्प्यूटर/लिपिकीय त्रुटि आती है, तो चयन एवं भर्ती शाखा को उसे सुधारने का अधिकार होगा।
- ii. विज्ञापित पदों की संख्या में पुलिस मुख्यालय द्वारा कमी या वृद्धि की जा सकती है। परिवर्तन की स्थिति में न तो अलग से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे और न ही अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये पहले से भरे हुए आवेदनों में संशोधन मांगा जावेगा।
- iii. यदि कोई आवेदक चयन सूची जारी होने से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है या यदि उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी/चयन रद्द किया जा सकता है।
- iv. चयन परीक्षा का सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जावेगा। यह भर्ती समाप्त होने के तीन वर्ष बाद नष्ट कर दिया जावेगा। केवल वही सुरक्षित रखा जावेगा, जिसकी कोई जाँच चल रही हो अथवा प्रस्तावित हो।

(मनु व्यास)
सहायक पुलिस महानिरीक्षक(चयन/भर्ती)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

आरक्षक (चालक) उम्मीदवारों के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रदान किये जाने वाले अंक
शारीरिक दक्षता परीक्षण - अधिकतम 40 अंक

800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा.

तालिका-

a. पुरुष -

अंक (पुरुष)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)	अंक (पुरुष)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)
0	198.3 से अधिक	30	141.3 से अधिक और 143.2 तक
1	196.4 से अधिक और 198.3 तक	31	139.4 से अधिक और 141.3 तक
2	194.5 से अधिक और 196.4 तक	32	137.5 से अधिक और 139.4 तक
3	192.6 से अधिक और 194.5 तक	33	135.6 से अधिक और 137.5 तक
4	190.7 से अधिक और 192.6 तक	34	133.7 से अधिक और 135.6 तक
5	188.8 से अधिक और 190.7 तक	35	131.8 से अधिक और 133.7 तक
6	186.9 से अधिक और 188.8 तक	36	129.9 से अधिक और 131.8 तक
7	185 से अधिक और 186.9 तक	37	128 से अधिक और 129.9 तक
8	183.1 से अधिक और 185 तक	38	126.1 से अधिक और 128 तक
9	181.2 से अधिक और 183.1 तक	39	124.2 से अधिक और 126.1 तक
10	179.3 से अधिक और 181.2 तक	40	126.1 से कम और 124.2 तक
11	177.4 से अधिक और 179.3 तक	अधिकतम अंक 40	124.2 से कम
12	175.5 से अधिक और 177.4 तक		
13	173.6 से अधिक और 175.5 तक		
14	171.7 से अधिक और 173.6 तक		
15	169.8 से अधिक और 171.7 तक		
16	167.9 से अधिक और 169.8 तक		
17	166 से अधिक और 167.9 तक		
18	164.1 से अधिक और 166 तक		
19	162.2 से अधिक और 164.1 तक		
20	160.3 से अधिक और 162.2 तक		
21	158.4 से अधिक और 160.3 तक		
22	156.5 से अधिक और 158.4 तक		
23	154.6 से अधिक और 156.5 तक		
24	152.7 से अधिक और 154.6 तक		
25	150.8 से अधिक और 152.7 तक		
26	148.9 से अधिक और 150.8 तक		
27	147 से अधिक और 148.9 तक		
28	145.1 से अधिक और 147 तक		
29	143.2 से अधिक और 145.1 तक		

*** वजन .ग्रा.कि 7.26**

शिथिल मापदण्डों के साथ होमगार्ड/भूतपूर्व सैनिक
शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रदाय किये जाने वाले अंकों की तालिका-

b. पुरुष

अंक (पुरुष)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)	अंक (पुरुष)	800 मीटर दौड़ (सेकेण्ड)
0	224.5 से अधिक	32	160.5 से अधिक और 162.5 तक
1	222.5 से अधिक और 224.5 तक	33	158.5 से अधिक और 160.5 तक
2	220.5 से अधिक और 222.5 तक	34	156.5 से अधिक और 158.5 तक
3	218.5 से अधिक और 220.5 तक	35	154.5 से अधिक और 156.5 तक
4	216.5 से अधिक और 218.5 तक	36	152.5 से अधिक और 154.5 तक
5	214.5 से अधिक और 216.5 तक	37	150.5 से अधिक और 152.5 तक
6	212.5 से अधिक और 214.5 तक	38	148.5 से अधिक और 150.5 तक
7	210.5 से अधिक और 212.5 तक	39	146.5 से अधिक और 148.5 तक
8	208.5 से अधिक और 210.5 तक	40	148.5 से कम और 146.5 तक
9	206.5 से अधिक और 208.5 तक	अधिकतम अंक 40	146.5 से कम
10	204.5 से अधिक और 206.5 तक		
11	202.5 से अधिक और 204.5 तक		
12	200.5 से अधिक और 202.5 तक		
13	198.5 से अधिक और 200.5 तक		
14	196.5 से अधिक और 198.5 तक		
15	194.5 से अधिक और 196.5 तक		
16	192.5 से अधिक और 194.5 तक		
17	190.5 से अधिक और 192.5 तक		
18	188.5 से अधिक और 190.5 तक		
19	186.5 से अधिक और 188.5 तक		
20	184.5 से अधिक और 186.5 तक		
21	182.5 से अधिक और 184.5 तक		
22	180.5 से अधिक और 182.5 तक		
23	178.5 से अधिक और 180.5 तक		
24	176.5 से अधिक और 178.5 तक		
25	174.5 से अधिक और 176.5 तक		
26	172.5 से अधिक और 174.5 तक		
27	170.5 से अधिक और 172.5 तक		
28	168.5 से अधिक और 170.5 तक		
29	166.5 से अधिक और 168.5 तक		
30	164.5 से अधिक और 166.5 तक		
31	162.5 से अधिक और 164.5 तक		

*** वजन ग्रा.कि 7.26**

नोट:- उभयलिंगी व्यक्ति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण – जैसा कि उभयलिंगी (Transgender) को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी Certificate of Identity में उल्लेखानुसार पुरुष/महिला के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगे।(उक्त पद महिला उम्मीदवारों के लिये नहीं है।)

अध्याय - 2

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 2.1** (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**
- (ii) **आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढ़ाये/विलोपित किए जा सकेंगे।
- (iii) **ऐसी पद तालिका, जिनमें Category/X/Open में पद विज्ञापित नहीं है। परन्तु प्रवर्ग यथा भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड में पद विज्ञापित है, ऐसे विज्ञापित पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में कन्वर्जन का नियम लागू करना संभव नहीं हो सकेगा।**
- 2.2** (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) परीक्षाओं की गोपनीयता, शुचिता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन-पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के विकल्प चुनता है, तो उस अभ्यर्थी को सभी चुने गये पदों की योग्यता का प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
- (iv) किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा उक्त अपलोड किये प्रमाण-पत्र का बोर्ड स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से परीक्षण किया जा सकता है एवं कोई भी गलत जानकारी दिये जाने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है एवं बोर्ड के पास वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (v) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा से संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (vii) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (viii) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) बॉलपवाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई-आधार मान्य नहीं है।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales, Digital Watch, Sun glasses and whitener, इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2.5 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन हेतु निर्धारित समयावधि के उपरांत इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जायेगा, साथ ही इस आशय हेतु प्रेषित किये जाने वाले पत्र का उत्तर न प्रेषित करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किये जायेंगे। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.6 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.7 मूल्यांकन पद्धति :-

- (i) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा।
- (ii) परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कम्प्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) एवं प्रदर्शित RAW Score समान होने पर ही "सबमिट" किया जा सकेगा।

2.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है।

- (A) निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-
 - (i) प्रश्न की संरचना गलत हो।
 - (ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
 - (iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
 - (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
 - (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
 - (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (B) हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिन्दी पाठ को मानक माना जाएगा। सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र, जहाँ पर अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा)।
- (C) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा, ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।
- (D) आपत्तियुक्त प्रश्नों के निराकरण हेतु मंडल द्वारा प्रदाय विकल्प को कुंजी समिति के विषय विशेषज्ञों द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

2-8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम परसेंटाईल पद्धति :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. ईएसबी/29/16/2021/ई-1/1040/2025, दिनांक 13/02/2025 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम परसेंटाईल पद्धति से तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

- ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता है अथवा ऐसे पद/पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न-पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं।
- ऐसी परीक्षाएँ जिनका आयोजन बहुचरण में जैसे कि Police Constable Recruitment Test में प्रथम चरण में ई.एस.बी. द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने हेतु मंडल के आदेश क्र. 11-80/2013/08/पी-2/625/2025, दिनांक 24/01/2025 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार Normalised Equi-Percentile (NEP) scaling technique एवं निम्न सूत्रों से परीक्षा परिणाम तैयार किये जायेंगे :-

- (a) एक चरणीय (Single-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

$$P_{ij} = \frac{\text{No. of candidates in shift (j) having proportionate scores} \leq X_{ij}}{N_j} \times 100$$

- **shifts** be denoted as $S_1, S_2, \dots, S_K$.
- number of **candidates** appearing in each shift be denoted by $N_1, N_2, \dots, N_K$
- X_{ij} be the **actual/proportionate marks** of candidate (i) in shift (j), where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.
- P_{ij} be the **percentile score** of candidate X_{ij} , where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.

एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं या एक पॉली में एक से अधिक विषय हेतु Percentile score को एकजाई कर परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट बनाया जा सकेगा।

- (b) बहुचरणीय (Multi-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

A.1 In cases where MP-ESB conducts examinations in 2 phases/stages, where the first is through the competitive examination followed by a Physical or Personal Interview/Examination, it is not appropriate to add the proportionate score or the percentile score of the first phase with the scores received in the second phase/ stage. In this scenario, MP-ESB will adopt the following methodology.

A.2 Step 1: Compute the percentile score P_{ij} of the proportionate score obtained by the candidates as described at (a) above.

A.3 Step 2: Compute the equivalent z-value for the percentile score using the Standard Normal Distribution

$$Z_{ij} = \text{ROUND}(\text{NORMSINV}(\frac{P_{ij}}{100} - 0.0000005), 6)$$

where,

- Z_{ij} = Z -value score of ith candidate & jth shift

A.4 Step 3: Compute the corresponding T-score value for each candidate using the following formula:

$$T_{ij} = AM + ASD \times (Z_{ij})$$

where, T_{ij} = T-score of ith candidate & jth shift where,

AM = Assumed Mean = (Maximum Marks of the paper)/2

ASD = Assumed Standard Deviation = (Maximum Marks)/10

A.5 Step 4: Compute the Final Score Obtained for each candidate by adding the T-score (T_{ij}) with the score obtained in the Physical/Personal test and the Final Score so obtained may be used for preparing the Merit List and inter-se position.

- For tie-breaking situations, at the first level, will be based on the proportionate marks obtained by the candidate in the examination, followed by the existing practise of MP-ESB.
- The proportionate score, percentile score, Z-value & T-score will be computed by rounding off to six places of decimal for single stage & multistage examination. The qualifying marks for any category (UR, SC/ST/OBC, PwD etc) will be based on Proportionate Scores obtained by candidate.

उपरोक्त सूत्रों के अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट तैयार किये जायेंगे।

2.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु मण्डल की वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा। अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि रूपये 150/- (एक सौ पचास) + अन्य चार्ज/शुल्क देय होगा। मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- बिन्दु क्रमांक 3.8 अ. अनुसार मण्डल द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) **अनुचित साधन (Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में :-**

- परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रॉनिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
- परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफुसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
- प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यू.एफ.एम प्रकरण दर्ज होगा।
- नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
- परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना।
- ऐसे यू.एफ.एम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।
- परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मण्डल द्वारा किये गए डाटा विश्लेषण में असामान्यता परिलक्षित होती है, तो संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध यू.एफ.एम./वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
- परीक्षा उपरांत, परीक्षा संबंधी डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आवेदकों की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को यू.एफ.एम. श्रेणी में मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

- 1- अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी के विरुद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदक एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 2- विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मण्डल को अवगत कराया जायेगा।

मण्डल द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यूएफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

2.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली प्रावीण्य सूची मण्डल की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएं भी मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।

2.12 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.13 मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।
- (ii) मंडल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में मण्डल परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख मण्डल द्वारा जारी आदेश क्र.मण्डल/2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

खण्ड-ब

2.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित यथा आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा :-

- अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि।
- आवेदक की जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के जाति/श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र।
- आरक्षण/छूट के संबंध में अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र।
- प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र (यथा एन.सी.सी. प्रमाण पत्र व अन्य)।
- आवेदन-पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित विवरण (टेक्स्ट) लिख कर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

"मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।"

2.16 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को निर्धारित प्रारूप/ फॉर्मेट में स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- पोलाराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर – हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

2.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारीयों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा :-

- पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।
- कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारीयों भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.18 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिह्न तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक /आधार VID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से
1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
 2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू में मण्डल द्वारा अधिमार्ग पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

2.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) केवल सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **ESB** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/**Instructions** तथा परीक्षा नियम/**Examination Rules** उपलब्ध होंगे।
- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारी को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर jpg फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंकों के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.22 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.23

आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस. का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।
- (ix) ऐसे आवेदक, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आवेदन-पत्र भर लिया है, लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं किया है, वे निर्धारित संशोधन अवधि में संशोधन शुल्क सहित भुगतान कर सकेंगे।

2.25 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.27 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.28 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

2.29 पुनः गणना / पुनर्मूल्यांकन :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनः गणना / पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

2.30 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत मण्डल की E-mail ID "complaint.esb@mp.gov.in" पर भेज सकते हैं।

खण्ड-स

2.31 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
15-10-2026	29-10-2026	15	15-10-2026	03-11-2026	20

2.32 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	04-01-2027 से प्रारंभ	02 घंटे	प्रातः 10:00 से 12:00 तक	100
2	द्वितीय			दोपहर 03:00 से 05:00 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से चयन/काला करना होगा।

2.33 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिये	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/-	250/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

2.34 परीक्षा शहर :-

आवेदको को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। मण्डल द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहरों एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/ केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त संबंध में मण्डल का निर्णय एवं बाध्यकारी होगा। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित संभावित परीक्षा शहरों/केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :-

आनलाईन परीक्षा हेतु संभावित परीक्षा शहर						
1. अनूपपुर	2. बड़वानी	3. भोपाल	4. इन्दौर	5. जबलपुर	6. खण्डवा	7. नीमच
8. रतलाम	9. रीवा	10. सागर	11. सतना	12. सीधी	13. उज्जैन	

खण्ड-द
ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.35

- (1) परीक्षा केन्द्र पर, निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (2) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (3) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (4) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (5) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (6) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।
- (7) नियमपुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।
- (8) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (9) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का प्रिंटआउट यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा।
- (10) आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा की नियमपुस्तिका का भली-भांति अवलोकन/अध्ययन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि आप संबंधित परीक्षा की नियमपुस्तिका में उल्लेखित सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं, तत्पश्चात ही आवेदन पत्र भरें।
- (11) यह आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वह अपना आवेदन पूरी तरह सावधानी के साथ भरें। आवेदन-पत्र में अन्य प्रविष्टियों में त्रुटि होने पर नियमपुस्तिका में उल्लेखित प्रावधान/प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार निर्धारित समयावधि में संभव होगा। त्रुटि/प्रविष्टि में परिवर्तन/सुधार मंडल स्तर पर संभव नहीं है। इस संबंध में मंडल कार्यालय में प्राप्त आवेदन अमान्य किये जाते हैं तथा इन्हें नस्तीबद्ध करते हुए प्रतिउत्तर नहीं दिया जाता है।
- (12) कतिपय अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) में त्रुटि परिलक्षित होने पर परिवर्तन/संशोधन हेतु आवेदन करते हैं, जबकि यह त्रुटि उनके द्वारा आवेदन पत्र भरने में की गई त्रुटि एवं समय-सीमा में सुधार न करने का परिणाम होती है, अतः इस संबंध में कोई भी आवेदन/पत्राचार तत्समय मंडल द्वारा मान्य किया जाना संभव नहीं होता है।
- (13) समूह परीक्षाओं में कतिपय स्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं, जिसमें अलग-अलग पदों/प्रश्न पत्र होने पर पृथक-पृथक प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) जारी किए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न-पत्र हेतु अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) लेकर जाना आवश्यक होगा।
- (14) किसी भी तकनीकी त्रुटि होने के कारण परीक्षा प्रारंभ होने में विलंब होने की स्थिति में भी सभी अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र हल करने हेतु निर्धारित समयावधि उपलब्ध कराई जाती है, अतः ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को बिना किसी चिंता के परीक्षा संचालन में पूर्ण सहयोग करना चाहिए।
- (15) मंडल का कार्यक्षेत्र केवल विभाग की मांग पर परीक्षा का आयोजन कर परीक्षा परिणाम संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने तक सीमित है। नियुक्ति संबंधी कार्यवाही का संपूर्ण दायित्व संबंधित विभाग का है।
- (16) उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि मंडल द्वारा विभागों के मांग-पत्रों के आधार पर प्रवेश, पात्रता, चयन एवं भर्ती परीक्षाएँ पूर्ण पारदर्शी एवं उत्कृष्ट तकनीकी मापदंडों के अनुरूप आयोजित की जाती हैं, जिनकी यथासंभव सुरक्षा एवं शुचिता सुनिश्चित की जाती है। अतः इस संबंध में अगर किसी के द्वारा अवांछित लाभ उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, तो अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह इसकी सूचना समस्त जानकारीयों सहित तत्काल मंडल कार्यालय को प्रदान करें। परीक्षा से संबंधित अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित होने/सहयोग प्रदान करने/तथ्य छुपाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।

अध्याय - 03

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम.

लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसका योग 100 अंकों का निम्नानुसार होगा। सभी प्रश्न म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की आठवीं कक्षा के स्तर के होंगे ।

(अ)	सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान	40 अंक
(ब)	बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि	30 अंक
(स)	विज्ञान एवं सरल अंक गणित	30 अंक

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम :
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय :
3. परीक्षा केन्द्र का नाम :
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
(जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) :
6. परीक्षार्थी का रोल न. :
7. बैंक का नाम :
8. बैंक शाखा का नाम :
9. बैंक का IFS Code :
10. बैंक खाता क्रमांक :
11. परीक्षार्थी गृह जिला :
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी :
13. यात्रा का प्रकार :
14. यात्रा व्यय की राशि :
15. पत्र व्यवहार का पता :
16. ई-मेल :
17. फोन न. :

संलग्न :-

1. बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकिट (मूल प्रति) ।
3. जाति/ द्रवियांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. टीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

.....
.....

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण-पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किस एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें:-

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उपजिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी) राजस्व (अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी. स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये-

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक.....

प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र-नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम.....निवासी/ग्राम/नगर

विकासखण्ड.....तहसील.....जिला.....संभागजाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यहजाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन (अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांकपर अंकित हैं।

अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की हैं.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....हैं.

दिनांक.

हस्ताक्षर

(प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम सील)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें-

1. संबंधित राजस्व (अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार). अस्थायी प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये-

(अस्थायी प्रमाण पत्र) नियम 8 (2)

(कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण)

अनुभाग----- जिला----- मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक----- प्रमाण पत्र क्रमांक----- प्रकरण क्रमांक-----

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पिता/पति का नाम ----- निवासी/ग्राम/नगर ----- वि.ख----- तहसील----- जिला-----संभाग----- जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ----- जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन (अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक----- पर अंकित है, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ----- पिता/पति का नाम ----- अनुसूचित जाति / जनजाति का/की है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/ कुमारी ----- परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये-----है.

दिनांक.

हस्ताक्षर

(प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पद नाम सील)

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा.

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप
(स्थायी जाति प्रमाण पत्र)नियम 8(1)
(कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति
का.....नाम.....निवास/ग्राम/नगर.....वि.ख.....तहसील.....जिला
.....संभाग..... मध्यप्रदेश के अधिवासी (domicile) हैं, जोजाति के हैं, जिसे पिछड़ा
वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-
5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।
श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम.....और/उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के
जिला.....संभाग.....में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
श्री/श्रीमती/कुमारी.....क्रीमीलेयर सम्पन्न वर्ग व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था/एस.सी.टी. दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र. दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की
अनुसूची के कालम 3 में किया गया है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय
रूपये.....है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर
(प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पद नाम सील)

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची.
प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता है.
जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उपजिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी) राजस्व/(जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य प्राधिकृत
अधिकारी.

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप
(अस्थायी जाति प्रमाण पत्र नियम 8(2))
(कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश पुस्तक
क्रमांक.....प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....
जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का
नाम.....निवास/ग्राम/नगर.....वि.ख.....तहसील
.....जिला.....संभाग.....मध्यप्रदेश के अधिवासी (domicile) हैं, जोजाति
के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक
एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है.

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम.....और/उनका परिवार
सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला.....संभाग में निवास करता है. यह प्रमाणित किया जाता है कि
श्री/श्रीमती/कुमारी.....क्रीमीलेयर) सम्पन्न वर्ग (व्यक्तियों /वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख
भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था)एस.सी.टी.दिनांक 8.9.1993 व्दारा जारी सूची के
कालम-3 में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र /.दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न
परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम 3 मे किया गया है

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय
रूपये.....हैं.

दिनांक.....

हस्ताक्षर

(प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पद नाम सील)

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची. प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया
है जहाँ कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता है. संबंधित राजस्व अधिकारी /तहसीलदार /अतिरिक्त तहसीलदार /नायव
तहसीलदार

यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा.

नोट :वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के व्दारा जारी किए
गए प्रारूप के अनुसार होगा.

सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 18 जुलाई 2019 का संलग्नक)
मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....दिनांक.....

वित्तीय वर्ष..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पति/पुत्री.....ग्राम/कस्बा.....पोस्ट

ऑफिस.....थाना.....तहसील.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष.....में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है. इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है.

1. जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि हो (जिनके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, बजर पथरीली, बीहड भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी.
 2. जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लेट नगर निगम क्षेत्रमें स्थित हो.
 3. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लेट हो.
 4. नगर परिषद क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लेट हो.
2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जाति.....के सदस्य है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है.

हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम.....

पदनाम.....

अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ